संख्या-445/2022/1164रासनि/23-1-22/002-03आरएसएन/2021टीसी-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 04 दिसम्बर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विशेष मरम्मत के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 14 मार्गों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों के विशेष मरम्मत के 14 कार्यों हेतु कुल लागत रू0 26,67,37,000/- (रूपये छब्बीस करोड़ सड़सठ लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 6,66,82,000/- (रूपये छः करोड़ छियासठ लाख बयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र सं0 व दि0	खण्ड / जनपद का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	मार्ग की क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3063सी/बरेली क्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 बदांयू	190242	बदायूं ककराला उसहैत मार्ग की मरम्मत का कार्य	8.00	232.69	58.17
2	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 बदांयू	190008	उसहैत कोरीकलां कटरा अटेना केशवनगला बर्नीनगला मार्ग की मरम्मत का कार्य।	8.60	183.53	45.88
3	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 बदांयू	190251	उसहैत मार्ग से गूरा नवीगंज मार्ग की मरम्मत का कार्य।	2.55	66.01	16.50
4	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 बदांयू	190253	सादुल्लागंज समरेर कमां कुंडरा खरसाई मार्ग की मरम्मत का कार्य।	4.62	110.30	27.57
5	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	नि0ख0 बदांयू	190231	आसफपुर चन्दौसी सिसरका रेलवे स्टेशन (अजिमा) के किमी 8,9,10,11,12 एवं 13 (350) के ओरछी आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग एवं मरम्मत का कार्य।	5.35	365.53	91.38
6	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	नि0ख0 बदांयू	190235	सहसवान नाधा मार्ग (अजिमा) के किमी 32 एवं 33 (920) में सी0सी0 मार्ग एवं मरम्मत का कार्य।	1.92	140.39	35.09
7	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	नि0ख0 बदांयू	190234	बिसौली इस्लामनगर मार्ग (अजिमा) के किमी 11 (500) एवं 12 (300) के आबादी भाग में सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य।	0.80	220.73	55.18
8	3075सी/ बरेली क्षेत्र/22-23 दि0 18.11.2022	नि0खं0-2 बदायूँ	190911	पी0बी0एम0बी0 मार्ग से टिटौली मार्ग की मरम्मत का कार्य।	5.00	52.96	13.24
9	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 बरेली	200483	जनपद बरेली मे बल्लिया शीशगढ़ मार्ग से बिहारीपुर अकीलाबाद होते हुए वसुधरन मार्ग पर बैगुल एवं डोडा नदी में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सेतु पहुच मार्ग एवं अतिरिक्त	4.200	499.530	124.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र सं0 व दि0	खण्ड / जनपद का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	मार्ग की क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				पहुच मार्ग के रेस्टोरेशन /विशेष मरम्मत का कार्य।			
10	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 बरेली	200544	बरेली मिनी बाईपास मार्ग की मरम्मत व सुधार का कार्य।	3.400	448.130	112.03
11	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 शाहजहॉ पुर	220266	पीलीभीत बस्ती मार्ग से बेला जोगराजपुर होते हुए हरनई सम्पर्क मार्ग	0.400	53.61	13.40
12	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 शाहजहॉ पुर	220260	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत घंटाघर से रेलवे क्रासिंग होते हुए रेलवे स्टेशन मार्ग (अजिमा) पर राइडिंग क्वालिटी सुधार हेतु मरम्मत का कार्य।	2.500	82.58	20.65
13	3063सी/बरेलीक्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 शाहजहॉ पुर	220259	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत निरीक्षण भवन से केरूगंज मार्ग (अजिमा) पर राइडिंग क्वालिटी सुधार हेतु मरम्मत का कार्य।	3.100	97.55	24.39
14	3063सी/बरेली क्षेत्र/22-23 दिनांक 18.11.2022	प्रा0ख0 शाहजहॉ पुर	220261	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत पुराना राष्ट्रीय मार्ग (शहरी भाग) हेतु मरम्मत का कार्य।	3.000	113.83	28.46
					कुल योग-	2667.37	666.82

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(8) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(9) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 6,66,82,000/- (रूपये छः करोड़ छियासठ लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-445/2022/1164रासनि(1)/23-1-22/002-03आरएसएन/2021टीसी-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।